न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **76/25 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2025/346

अनवान्

1. श्री मोता पिता रता भील निवासी विकरणी तहसील घासा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भानु पिता खुमा भील निवासी खादरा तहसील घासा।
2. श्रीमती कालीबाई उर्फ कालीदेवी पत्नी लाला भील निवासी जगत उदयपुर।
3. श्रीमती नर्बदा पुत्री लाला पत्नी सुरेश भील निवासी खादरा तहसील घासा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री नरेन्द्र वीरवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री नरेश डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 29.07.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 किता 14 कुल रकबा 2.9138 हेक्टेयर एवं परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 15, 16, 17, 18, 19, 21 किता 6 कुल रकबा 0.8742 हेक्टेयर होकर परिशिष्ट क में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदारान के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि मुझ वादी के नाम 1/36 हिस्से से, विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्से से एवं अन्य सह खातेदारान के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज हैं। इसी तरह परिशिष्ट ख की कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/18 हिस्से से एवं अन्य सह खातेदारान के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

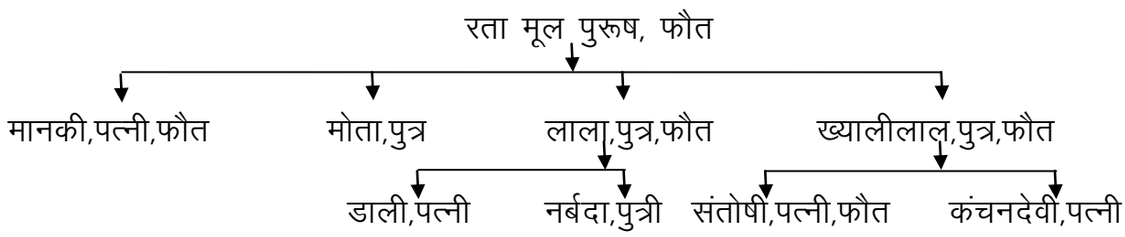

उपरोक्त सजरे में वर्णित अनुसार मूल पुरूष रता भील जिनके विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण में मानकी पत्नी, मोती, लाला व ख्यालीलाल पुत्र हुए जिनमें मुझ प्रार्थी की माता मानकी का देहावसान वर्ष 2017 में हो चुका है। मैं प्रार्थी रता का जायन्दा पुत्र होकर विधिक वारिस हूं। लाला के विधिक वारिस में कालीदेवी पत्नी एवं नर्बदा पुत्री जो इस प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 2 व 3 हैं। इसी तरह ख्यालीलाल के विधिक वारिस में संतोकी पत्नी जिसका देहावसान हो चुका है एवं दूसरी पत्नी कंचनदेवी हैं।

3. यह कि मुझ प्रार्थी के भाई लाला के कोई जायन्दा पुत्र सन्तान उत्पन्न नहीं हुई। लाला की मृत्यु से करीब 4–5 वर्ष पूर्व ही लाला की पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 जगत निवासी केसुलाल भील के यहां नाते चली गई एवं केसुलाल के साथ पांच वर्ष तक नातायत पत्नी बनकर रही। जब प्रार्थी का भाई लाला जब जीवित था वहां से सामाजिक रिति रिवाजानुसार झगडा लेकर आए व लाला की पुत्री विपक्षी संख्या 3 को भी साथ लेकर आए तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 2 ग्राम धोलाखुंटा निवासी मोहन गमेती के यहां नाते चली गई और वर्तमान में भी मोहन गमेती के साथ ग्राम धोलाखुंटा में ही नातायज पत्नी बनकर निवासरत हैं। लाला लम्बे समय तक अस्वस्थ्य रहने से लाला की सार सम्भाल, सेवा, सुश्रषा एवं ईलाज का सारा खर्चा प्रार्थी द्वारा ही किया गया एवं लाला की मृत्यु होने पर सभी सामाजिक कार्यक्रम प्रार्थी द्वारा ही सम्पन्न किए गए जिससे जाति समाज व गांव के मौतबीरान की उपस्थिति में लाला के हक हिस्से की कृषि भूमि प्रार्थी के स्वामित्व, हक हिस्से में रखी जो मुझ प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे उपभोग में चली आ रही हैं। विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा मुझ प्रार्थी को रंज व नुकसान पहुंचाने की नियत से विपक्षी संख्या 1 से मिलीभगत कर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण विलेख मुझ प्रार्थी के हितो के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता/पति के नाम अंकित हिस्सा भूमि तत्कालीन समय से मुझ प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे उपभोग में हो विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा जानबुझकर यह जानते हुए कि हमारे पिता/पति के अस्वस्थ्य रहने पर प्रार्थी द्वारा इलाज का सारा खर्चा किया एवं लाला की मृत्यु पर सभी सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक रीति रिवाजनुसार प्रार्थी द्वारा ही सम्पन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

किए फिर भी विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा लोभ व लालच की भावना से वशीभूत हो एवं मुझ प्रार्थी को भारी रंज व नुकसान पहुंचाने की नियत से अपने नाम अंकित हक हिस्सा भूमि को जरिए विक्रय पत्र हस्तान्तरण विलेख से विपक्षी संख्या 1 को विक्रय कर दी जबकि विपक्षी संख्या 1 का खरीद की गई भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा न ही कभी विपक्षी संख्या 1 के उपयोग उपभोग में रही। उक्त भूमि केवलमात्र नुमाईशी तौर पर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त हस्तान्तरण विलेख मुझ प्रार्थी के हितों के मुकाबले शुन्य बेअसर व अमान्य है, जिससे मैं प्रार्थी उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी 1 का नाम हटवा राजस्व रेकार्ड में रद्दोबदल करवाने का अधिकारी हूं।

5. यह कि परिशिष्ट क की कृषि भूमि में प्रत्येक खसरा नम्बर की भूमि में मुझ प्रार्थी का हक हिस्सा हो उक्त भूमि मुझ प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व व कब्जे उपभोग में हैं। उक्त भूमि का अभी तक कानूनन बंटवाडा नहीं हुआ हैं। यह कि मुझ प्रार्थी का मजबूत प्राईमाफैसी केस है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम केवल मात्र नुमाईशी तौर पर दर्ज है। मौके पर विपक्षी संख्या 1 का कभी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा हैं। वर्तमान समय में भी विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कोई अधिकार अथवा कब्जा नहीं है। उक्त कृषि भूमि नुमाईशी तौर पर विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 रेकार्ड व मौके की स्थिति को परिवर्तित करने पर उतारू है, जिससे मुझ प्रार्थी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा, हितो की रक्षा के लिए विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 10.06.2025 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने मौके पर मुझ प्रार्थी के स्वामित्व कब्जे अधिकार आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप उत्पन्न कर विवाद उत्पन्न किया एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति को परिवर्तित करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ट क एवं परिशिष्ट ख की कृषि भूमि जो मुझ प्रार्थी की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि हो उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर, चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें। विपक्षीगण रेकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा वर्तमान में मुझ विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है और उक्त हक हिस्से पर मैं विपक्षी संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं। प्रार्थी का वादगत भूमि से कोई सरोकार नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज रहा हिस्सा विपक्षी संख्या 2, 3 को उनके पति/पिता से विरासत में प्राप्त हुआ था तथा विपक्षी संख्या 2, 3 को रूपयो की आवश्यकता होने से उन्होने अपने हक हिस्से की तमाम कृषि भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए मुझ क्रेता विपक्षी संख्या 1 को विक्रय की और उनके हक हिस्से की कृषि भूमि पर मुझ क्रेता विपक्षी संख्या 1 को काबिज करा दिया जिससे वक्त खरीद से विक्रेतागण के हक हिस्से की भूमि पर मैं विपक्षी संख्या 1 निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा हुं और रेवेन्यु रेकार्ड में भी विक्रेतागण के हक हिस्से की कुलिया कृषि भूमि मुझ क्रेता विपक्षी संख्या 1 के नाम पर रद्दोबदल हो चुकी है अर्थात् मुझ क्रेता का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित हो चुका हैं।

8. यह कि प्रार्थी का उक्त जमीन पर कभी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है, न ही वर्तमान में कोई कब्जा है क्योंकि विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम पर अंकित हक हिस्सा भूमि इन्हे अपने पिता/पति से प्राप्त हुई थी और इनके ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही थी जिस कुलिया हक हिस्से को विपक्षी संख्या 2, 3 ने जायज जरूरीयात में रूपयों की जरूरत होने से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर मुझ विपक्षी संख्या 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द किया था जो भूमि वक्त खरीद से मुझ विपक्षी संख्या 1 के कब्जे अधिकार में होकर खातेदार काश्तकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। मुझ विपक्षी ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए उक्त भूमि को इसके खातेदारों से क्रय की है जो प्रार्थी के कहने मात्र से नुमाईशी नहीं हो सकता है, न ही प्रार्थी के मुकाबले बेअसर व शून्य हैं। प्रार्थी का मेरे क्रयसुदा हक हिस्से पर कभी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है और प्रार्थी मनगढन्त कथनों के आधार पर उक्त जमीन को हडपना चाह रहा है और इसी नियत से इसने यह दावा किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी ने मुझ विपक्षी को विक्रेता विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा विक्रय की गई हिस्सा भूमि पर मेरा कब्जा नहीं होने का कथन किया है जो सरासर गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि विधि की पूर्ण प्रक्रियाओ के अनुसरण में निष्पादित विक्रय पत्र में [illegible] से विक्रीत भूमि का भौतिक आधिपत्य क्रेता अर्थात् मुझ विपक्षी संख्या 1 को देने का कथन किया गया है जो अपने आपमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्याप्त कथन है क्योंकि विधि की पूर्ण प्रक्रियाओं के अनुसरण में निष्पादित विक्रय पत्र में भौतिक आधिपत्य लेने–देने, प्रतिफल का भुगतान होने के तत्पश्चात् पंजीयन का प्रावधान होता है जैसा कि सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 54 में विक्रय की परिभाषा को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र फर्जी एवं मिथ्या कथनों पर आधारित है जिससे प्रार्थी किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है, न ही माननीय न्यायालय ऐसे फर्जी एवं बनावटी कथनों के आधार पर खातेदार अधिकार की घोषणा कर सकती हैं।

9. यह कि प्रार्थी का मुझ विपक्षी के क्रयसुदा हक हिस्से से कोई सरोकार नहीं रहा हैं। मुझ विपक्षी द्वारा इस भूमि के सहखातेदार विपक्षी संख्या 2, 3 से विधिवत रूप से कीमत को पुरा रूपया चुकाकर भूमि क्रय की गई है जो वर्तमान में मुझ विपक्षी के नाम पर है और मेरे ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है जिसमें प्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं रहा हैं। उक्त भूमि का मौके पर वर्षों पूर्व ही पांती बंटवाडा हो रखा था जिससे विपक्षी संख्या 2, 3 ने उनके हिस्से कब्जे की भूमि पर मुझ विपक्षी को काबिज कराया जिस पर मैं विपक्षी निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हूं। प्रार्थी येनकेन प्रकारेण इस जमीन को हथियाना चाहता है और इसी नियत से इस तरह के मिथ्या एवं वेग कथन अंकित कर यह मुकदमा आप न्यायालय में किया हैं। प्रार्थी एकतरफ तो लाला के हिस्से की जमीन उसके कब्जे में होना बता रहा है और दूसरी तरफ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किये जाने का कथन कर रहा है जो दोनो ही कथन परस्पर विरोधाभासी है जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी की नियत में क्या है इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराने का अधिकारी नहीं है, न ही ऐसी कोई आवश्यकता है क्योंकि मौके पर बंटवाडा वर्षों पूर्व ही हो चुका है। रेकार्ड में अंकित हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार भूमि का विधिक रूप से बंटवाडा किया जावे तो मुझ विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है और विभाजन हेतु मेरी ओर से न्यायालय आपमें काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया हैं। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी झूठे कथनों की आड लेकर उक्त जमीन को हथियाना चाहता है और इसी नियत से इस तरह के झूठे व बनावटी कथन अंकित कर मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी का मौके पर कब्जा ही नहीं रहा है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। मुझ विपक्षी ने उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए क्रय की है और उक्त भूमि मेरी खातेदारी में अंकित चली आ रही है तथा मैं विपक्षी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हूं जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से मुझ विपक्षी को ही हानि एवं नुकसान होगा और मैं विपक्षी अपनी खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो जाऊंगा। प्रार्थी इस भूमि का खातेदार नहीं है, न ही मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा है ऐसी अवस्था में प्रार्थी मुझे मेरी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से रोकने का अधिकारी नहीं है और न ही मेरे विरूद्व किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा ही जारी कराने का अधिकारी हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को कोई क्षति न तो हुई है, न ही हो रही है। प्रार्थी मुझ विपक्षी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कर अवरोध पैदा कर रहा है इसलिए प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद कराया जाना आवश्यक है जिस हेतु मेरी ओर से काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 10.06.2025 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र कारण बता यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

10. **विपक्षी संख्या 1 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन** किया कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात वर्तमान राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर मुझ विपक्षी के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार अंकित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित है किन्तु मौके पर उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्षों पूर्व ही विभाजन कर दिया गया है और मैं विपक्षी भी वक्त खरीद से अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर स्वतन्त्र रूप से काबिज चला आ रहा हूं लेकिन उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने से मुझ विपक्षी को अपने हिस्सा भूमि का और अधिकतम विकास करने हेतु बैंक से ऋण आदि प्राप्त करने एवं भूमि का विकास करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है इसलिए मैं विपक्षी उक्त कृषि भूमि में अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से का मौके पर कब्जे के आधार पर विधिक रूप से विभाजन कराने का अधिकारी हूं इसलिए मेरी ओर से माननीय न्यायालय में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया हैं। उक्त वर्णित आराजी का मौके पर बंटवाडा किया हुआ है तथा मैं विपक्षी वक्त खरीद से अपने हिस्से की भूमि पर अपने परिवारजन सहित काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं तथा मैने मेरे हिस्से कब्जे की जमीन को भी काफी खर्चा कर आवादान कर विकसित की है जिससे प्रार्थी की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है जिससे प्रार्थी आये दिन मुझ विपक्षी से लडाई झगडा करता है और मेरे को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक नहीं करने दे रहा है और निरन्तर बाधाएं उत्पन्न कर रहा है और मेरी जमीन पर अनाधिकार रूप से कब्जा करना चाह रहा है इसलिए मैं विपक्षी प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी मुझ विपक्षी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ विपक्षी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ विपक्षी को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ विपक्षी के पक्ष में हैं।

11. यह कि मुझ विपक्षी को प्रार्थी के विरूद्व काउन्टर प्रार्थना पत्र कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी मुझ विपक्षी संख्या 1 को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ विपक्षी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, बेदखल नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

12. **विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि** हम विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है और उक्त हक हिस्से पर विपक्षी संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है और अब हम विपक्षी संख्या 2, 3 का इस कृषि भूमि से कोई सरोकार नहीं रहा है, न ही इस हक हिस्से से प्रार्थी का कोई सरोकार रहा हैं। विपक्षी संख्या 2 स्वर्गीय लाला की विवाहिता पत्नी है एवं विपक्षी संख्या 3 स्वर्गीय लाला की जायन्दा पुत्री है अर्थात स्वर्गीय लाला की विपक्षी संख्या 2 व 3 क्रमशः पत्नी एवं पुत्री होकर विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारीगण है। प्रार्थी स्वयं ने इस सजरे में हम विपक्षी संख्या 2, 3 को स्वर्गीय लाला की पत्नी एवं पुत्री होना दर्शाया है और विधिक वारिसान होने की पुष्ठि की हैं। यह बात सही है कि लाला के कोई जायन्दा पुत्र सन्तान उत्पन्न नहीं हुई थी लेकिन यह कथन सरासर गलत एवं मनगढन्त है कि लाला के जीवनकाल में विपक्षी संख्या 2 अन्यत्र नाते चली गई थी क्योंकि स्वर्गीय लाला की विपक्षी संख्या 2 विवाहिता पत्नी है और विपक्षी संख्या 3 जायन्दा पुत्री है तथा विपक्षी संख्या 2 अपने पति की मृत्यु के पूर्व एवं बाद लाला की विवाहिता पत्नी के रूप में ही जानी पहचानी जाती हूं और लाला के पूरे जीवनकाल में विपक्षी संख्या 2 पत्नी की हैसियत से साथ रही और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वाह किया गया तथा लाला की मृत्यु के बाद भी विपक्षी संख्या 2 ने पत्नी धर्म का निर्वाह किया और विपक्षी संख्या 2, 3 ने अपने दायित्वों का भली प्रकार से निर्वाह किया, सभी क्रियाकर्म सम्पन्न कराये और सारा खर्चा वगैरा किया गया था। लाला की मृत्यु उपरान्त हम विपक्षी संख्या 2, 3 ही स्वर्गीय लाला की विधिक वारिसान होने से रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पन्न की और हमारे पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया और इसके लिए हम विपक्षी संख्या 2, 3 कानूनी तौर पर हकदार भी थी। प्रार्थी येनकेन प्रकारेण हमारे पिता/पति के हिस्से की जायदाद को हथियाना चाहता है इसी गरज से प्रार्थी ने बडी चालाकी एवं चतुराई से लाला की सेवा चाकरी करने एवं ईलाज आदि का खर्चा वहन करने का मनगढन्त कथन करते हुए अपने नाजायज उद्देश्य को पूरा करने की नाकाम कोशिश की है और अपने नाजायज उद्देश्यों की पूर्ति के क्रम में ही प्रार्थी ने जाति समाज व गांव के मौतबीरान की उपस्थिति में लाला के हक हिस्से की कृषि भूमि प्रार्थी के स्वामित्व, हक हिस्से में रखी होने का भी मिथ्या कथन अंकित किया हैं। प्रार्थी का लाला के हिस्से की जमीन पर न तो पहले कब्जा था, न ही वर्तमान में हैं। लाला उसके जीवनकाल में उसके हक हिस्से की भूमि पर साधिकार अपनी पत्नी के साथ काबिज होकर उपयोग उपभोग करता रहा जो हक हिस्सा लाला के मरने के बाद उसकी पत्नी व पुत्री को प्राप्त हुआ है और विरासत से खातेदारी हक में दर्ज हुआ जिसका हम विपक्षी संख्या 2, 3 को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार प्राप्त था तथा हम विपक्षी संख्या 2, 3 को रूपयों की आवश्यकता होने से हमने अपने हक हिस्से की तमाम कृषि भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए क्रेता विपक्षी संख्या 1 को विक्रय की और हमारे हक हिस्से की कृषि भूमि पर क्रेता विपक्षी संख्या 1 को काबिज कराया जिससे वक्त खरीद से हमारे हक हिस्से की भूमि पर विपक्षी संख्या 1 निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है और रेवेन्यु रेकार्ड में भी हमारे हक हिस्से की कुलिया कृषि भूमि क्रेता विपक्षी संख्या 1 के नाम पर रद्दोबदल हो चुकी है अर्थात् क्रेता का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित हो चुका है। प्रार्थी ने सभी कथन मिथ्या एवं बनावटी अंकित किये है जो प्रार्थी ने हमारी जायदाद को हथियाने की नियत से अंकित किये हैं। हमने हमारे वैध अधिकारों के तहत अपनी खातेदारी की भूमि को विपक्षी संख्या 1 को बेचा और काबिज कराया है जो किसी भी अवस्था में शून्य एवं निष्प्रभावी नहीं हैं।

13. यह कि प्रार्थी का उक्त जमीन पर कभी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है, न ही वर्तमान में कोई कब्जा है क्योंकि उक्त जमीन जब हमारे पिता/पति के नाम दर्ज थी तब हमारे पिता/पति इस पर काबिज थे तथा हमारे पिता/पति की मृत्यु पश्चात् हमारी खातेदारी में दर्ज हुई उस समय हम हमारे नाम दर्ज [illegible] हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

करते रहे तथा हमारे द्वारा अपने हक हिस्से की जमीन को बेचने के बाद से उक्त जमीन पर विपक्षी संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं। प्रार्थी ने जो भी कथन अंकित किये है वे सभी मनगढन्त होकर बिना किसी ठोस साक्ष्य के है जो हमारी जायदाद को हडपने के मकसद से अंकित किये गये है। हमें हमारी खातेदारी की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग व हस्तान्तरण करने का पूरा अधिकार प्राप्त था और हमारे हक हिस्से को हस्तान्तरित किये जाने से प्रार्थी के कोई हित प्रभावित नहीं हुवे है क्योंकि हमारे हक हिस्से से प्रार्थी का कभी भी कोई सरोकार नहीं रहा था। हमने हमारे वैध अधिकारों के तहत् नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर अपने हक हिस्से व कब्जे की भूमि को विपक्षी संख्या 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेची है जो प्रार्थी के कहने मात्र से नुमाईशी नहीं हो सकता है, न ही प्रार्थी के मुकाबले बेअसर व शून्य हैं। प्रार्थी का इस जमीन पर कभी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है और इसी नियत से इसने यह दावा किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है, न ही माननीय न्यायालय ऐसे बनावटी कथनों के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा कर सकती हैं।

14. यह कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण इस जमीन को हथियाना चाहता है और इसी नियत से इस तरह के मिथ्या एवं वेग कथन अंकित कर यह मुकदमा आप न्यायालय में किया है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त जमीन का वर्षों पूर्व ही मौके पर पांती बंटवाडा किया जा चुका था जिससे सभी सहखातेदार वर्षों से अलग–अलग अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। प्रार्थी एकतरफ तो लाला के हिस्से की जमीन उसके कब्जे में होना बता रहा है और दूसरी तरफ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किये जाने का कथन कर रहा है जो दोनो ही कथन परस्पर विरोधाभाषी है जिससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी की नियत में क्या है। प्रार्थी उक्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराने का अधिकारी नहीं है, न ही ऐसी कोई आवश्यकता है क्योंकि मौके पर बंटवाडा वर्षों पूर्व ही हो चुका हैं।

15. यह कि प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया मामला है, न ही सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी इस तरह के मन मकसूद कथन अंकित करके लाला के हिस्से की जमीन को हथियाना चाहता है जबकि प्रार्थी को इसका कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 2, 3 को उनके पिता/पति से जो भूमि प्राप्त हुई उस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 को बेचे जाने के है काबिज रहे तथा हमारे द्वारा उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 को बेचे हुये के बाद से उस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग उपभोग कर रहा है और आज भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही खुले रूप से उपयोग उपभोग किया जा रहा है। जब प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा ही नहीं है तो मौके की स्थिति को परिवर्तित करने पर उतारू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है और उसे अपने हिस्से कब्जे की जमीन को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने के पूरे अधिकार प्राप्त है जिसके उपयोग उपभोग में रूकावट या दखलन्दाजी करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से हमको ही क्षति एवं नुकसान होगा और उक्त जमीन के खातेदार अपने खातेदारी की जमीन के उपयोग उपभोग से महरूम हो जायेंगे। प्रार्थी इस भूमि का खातेदार नहीं है और प्रार्थी इस भूमि के खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग से रोकने का अधिकारी नहीं है और न ही किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा ही जारी कराने का अधिकारी हैं।

16. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 10.06.2025 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र कारण बता यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया हैं। प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

17. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

18. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 के नाम एवं अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज है एवं परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, इसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की मौरूसी सम्पति होकर विपक्षी संख्या 2, 3 का कोई हक अधिकार नहीं होना बताया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. *सुविधा का संतुलन*– प्रार्थनाग्रस्त भूमि में परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार एवं परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम विरासत के आधार पर गलत दर्ज होने से एवं विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा अपने हिस्से की भूमि को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने से विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाना चाहता हैं। भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदार के नाम खातेदार के रूप में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को यदि विक्रय हस्तान्तरण एवं खुर्द बुर्द कर देता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

19. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 20, 22 से 34 किता 14 कुल रकबा 2.9138 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है एवं खाता संख्या 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 15 से 19, 21 किता 6 कुल रकबा 0.8742 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम विरासत के आधार पर गलत दर्ज होना बताकर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम पर घोषणा करा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

किया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताकर जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थी को पाबंद करवाना चाहता हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं तथा परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 2, 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने से दर्ज हुई हैं। प्रार्थी द्वारा लाला के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है चूंकि लाला फौत होने से उसके वारिस विपक्षी संख्या 2, 3 लाला के जीवनकाल में अन्यत्र नाते चली गई थी एवं लाला के कोई वारिस नहीं होकर प्रार्थी लाला का भाई होने से लाला के नाम दर्ज हिस्सा भूमि विरासत से विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम गलत दर्ज होना बताया।

प्रार्थी द्वारा उठाये गये उजर ऐतराज को इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से तय नहीं किये जा सकते है जिसे मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जा सकते है। यदि मान भी लिया जाये कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी नहीं है फिर भी प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज होने से प्रार्थी द्वारा बंटवाडे की दाद चाही गई है। प्रार्थी द्वारा बंटवाडे की दाद चाहने से यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैह, बक्षीस, मौके परिवर्तन कर देता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता हैं।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार एवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजन[illegible]सील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 107 पर दर्ज आरा[illegible] नम्बर 20, 22 से 34 किता 14 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 2.9138 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 15 से 19, 21 किता 6 कुल रकबा 0.8742 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 भानु पिता खुमा भील के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested